प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थानाः– सीपीएस जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2023 दिनांक 9/9/2023

2. (1) अधिनियम – भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7.....
   (2) अधिनियम – ...भा.द.सं. .....धाराये :–.... .....
   (3) अधिनियम ....धाराये :–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 175 समय 1:40 Pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– 08.09.2023..... शुक्रवार .....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 28.08.2023 समय–07.05 पी.एम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित

5. घटनास्थलः– जी0एस0एस0 परिसर बायतु जिला बालोतरा।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – ब्यूरो चौकी जैसलमेर से दक्षिण–पुर्व दिशा करीबन 170 किलोमीटर
   (ब) पता :– बायतु जिला बालोतरा।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–

6. परिवादी/सूचनाकर्ता
   (अ) नाम :– श्री ओमप्रकाश
   (ब) पिता/पति का नाम :– श्री चौखाराम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष :– 35 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय
   (य) पाटपोर्ट संख्या :–..... जारी होने की तिथी.....
   (र) व्यवसाय :– खेतीबाड़ी
   (ल) पता :– निवासी भीमड़ा, तहसील बाटाडू, जिला बाडमेर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   (1) श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बायतु भोपजी पुलिस थाना बायतु जिला बालोतरा हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्निसियन) जीएसएस बायतु बालोतरा।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण – कोई विलम्ब नही

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– रिश्वती राशि 2500 रू.

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामे

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर।

विषयः– जायज काम नहीं करने एवं रिश्वत लेते हुवें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाने बाबत्।

महोदय जी,

मैं श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री चोखाराम, जाति मेघवाल, उम्र 35 साल, निवासी भीमड़ा, तहसील बाटाडू, जिला बाडमेर का रहने वाला हुँ तथा खेती बाडी का काम करता हूँ, मेरे गॉव में मेरे पिता जी के नाम से ट्यूबेल कनेक्शन है जिसका ट्रान्सफार्मर करीब डेढ महीने पहले खराब हो गया था। जिस पर मैने लाईनमैन की मदद से अर्जी तैयार कर जीएसएस मे प्रताप जी बाबू जी के पास जमा करवा दी। उसके बाद करीब 5–6 बार में जीएसएस ट्रान्सफार्मर बदलने के बारे में पुछने गया तो जीएसएस स्टोर इंचार्ज श्री ललित ने मुझे बताया कि ट्रान्सफार्मर अभी उपलब्ध नहीं है एवं कुछ दिन पहले जब मै श्री ललित जी से पुनः मिला और ट्रान्सफार्मर के खराब हो जाने से मेरी खेती नष्ट हो रही है की विनती की तो स्टोर इन्चार्ज श्री ललित ने मेरे से ट्रान्सफार्मर बदलने की एवज में 3 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा मुझे दिनांक 29.08.2023 को 10 बजे अपने पास बुलाया है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देकर श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु बाडमेर को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही मेरा कोई पुराना लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पेश करता हुं कार्यवाही की जावे।

दिनांक 28.08.2023

प्रार्थी

—sd—

श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री चोखाराम, जाति मेघवाल, उम्र 35 साल, निवासी भीमड़ा, तहसील बाटाडू, जिला बाडमेर

मो0– 7665333860,7427063860

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 28.08.2023 समय 07.05 पीएम पर परिवादी मैं श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री चोखाराम, जाति मेघवाल, उम्र 35 साल, निवासी भीमड़ा, तहसील बाटाडू, जिला बाडमेर ने लिखित प्रार्थना पत्र मुझ संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष दौराने कैम्प एसीबी चौकी बाडमेर में उपस्थित होकर पेश किया है एवं पूछताछ पर परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो की ताईद करते हुए बताया कि मैं खेती बाडी का काम करता हूँ, मेरे गॉव में मेरे पिता जी के नाम से ट्यूबेल कनेक्शन है जिसका ट्रान्सफार्मर करीब डेढ महीने पहले खराब हो गया था। जिस पर मैने लाईनमैन की मदद से अर्जी तैयार कर जीएसएस मे प्रताप जी बाबू जी के पास जमा करवा दी। उसके बाद करीब 5–6 बार में जीएसएस ट्रान्सफार्मर बदलने के बारे में पुछने गया तो जीएसएस स्टोर इंचार्ज श्री ललित ने मुझे बताया कि ट्रान्सफार्मर अभी उपलब्ध नहीं है एवं कुछ दिन पहले जब मै श्री ललित जी से

पुनः मिला और ट्रान्सफार्मर के खराब हो जाने से मेरी खेती नष्ट हो रही है की विनती की तो स्टोर इन्चार्ज श्री ललित ने मेरे से ट्रान्सफार्मर बदलने की एवज में 3 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा मुझे दिनांक 29.08.2023 को 10 बजे अपने पास बुलाया है। मैं मेरे जायज कार्य के लिए रिश्वत नही देकर श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु बाडमेर को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ, मेरे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही मेरा कोई पुराना लेन देन बकाया है। रिपोर्ट पेश करता हुं कार्यवाही की जावे। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संसोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वयं की अभिरक्षा में रखा। तत्पश्चात मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने हमराही कानि श्री कंवराजसिंह नम्बर 444 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री चोखाराम, जाति मेघवाल, उम्र 35 साल, निवासी भीमड़ा, तहसील बाटाडू, जिला बाडमेर से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनों को एक दूसरे के मोबाईल नम्बर से अवगत करवाया जाकर अपनी अभिरक्षा में रखे एसीबी कार्यालय जैसलमेर का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को निकाल कर परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने एवं रिकार्डिग करने की प्रकिया से समझाया गया तथा परिवादी श्री ओमप्रकाश को कल दिनांक 29.08.2023 समय 10 एएम पर कस्बा बायतु मे कानि0 श्री कंवराजसिंह से मिलकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु पाबन्द कर परिवादी को रूखसत किया गया।

दिनांक 29.08.2023 मन् उप अधीक्षक पुलिस ने एसीबी कार्यालय जैसलमेर के हमराही कानि श्री कंवराजसिंह नम्बर 444 को कार्यालय कक्ष एसीबी बाडमेंर में तलब कर अपनी अभिरक्षा में रखे एसीबी कार्यालय जैसलमेर का डिजीटल टेप रिकॉर्डर को निकाल कर सुपुर्द किया एवं कानि को हिदायत की गयी कि आप कस्बा बायतु पहुंच परिवादी श्री ओमप्रकाश से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु जरिये मोटर साईकिल से रवाना किया गया एवं हालात मुझ उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अर्ज किये जाने हेतू निर्देशित किया गया। जिस पर श्री कंवराजसिंह कानि 444 ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार इमरोजा एसीबी चौकी बाडमेर से रवाना होकर कस्बा बायतु पहुँचा, परिवादी श्री ओमप्रकाश के मोबाईल पर सम्पर्क कर कस्बा बायतु में परिवादी से मिला, परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करने एवं रिकार्डिग करने की प्रकिया को पुनः समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु आरोपी के पास जीएसएस बायतु की तरफ भेजा था। कुछ समय बाद परिवादी ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी स्टोर इन्चार्ज श्री ललित से ट्रान्सफार्मर बदलने की एवज वार्ता हुई है जिसमें ललित ने मेरे से 3 हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा कुछ कम करने कि विनती करने पर 2500 रूपये में कार्य करने पर सहमत हुआ है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। तत्पश्चात कानि0 कंवराजसिंह ने अपने मोबाईल से ही परिवादी श्री ओमप्रकाश से मन् उप अधीक्षक पुलिस की वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी उपरोक्त कथनों की ताईद की। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कानि0 श्री कंवराजसिंह को आदेशित किया गया कि आप डिजीटल टेप रिकॉर्डर को बिना सुने ही सुरक्षित रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे तथा परिवादी को रूकसत करते हुए हिदायत की गई कि आप रिश्वत में दी जाने राशि 2500 रू. की व्यवस्था कर आरोपी श्री ललित की उपस्थिति सुनिश्चित कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करें। मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष श्री कंवराजसिंह कानि 444 ने उपस्थित होकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर स्विच ऑफ हालात में दौराने एसीबी कार्यालय बाडमेर में पेश करते हुए निवेदन किया कि मै श्रीमान के निर्देशानुसार बाडमेर से रवाना होकर कस्बा बायतु पहुचा जहॉ परिवादी श्री ओमप्रकाश के मोबाईल पर सम्पर्क कर परिवादी से मिला,

परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑपरेट करने एवं रिकार्डिग करने की प्रक्रिया को पुनः समझाकर रिश्वती राशि मांग सत्यापन कर लाने हेतु विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि का मांग सत्यापन कर लाने हेतु आरोपी के पास जीएसएस बायतु की तरफ भेजा था। कुछ समय बाद परिवादी ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाकर डिजीटल टेप रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द कर बताया कि मेरी स्टोर इन्चार्ज श्री ललित से ट्रान्सफार्मर बदलने की एवज वार्ता हुई है जिसमें ललित ने मेरे से 3 हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा कुछ कम करने कि विनती करने पर 2500 रूपये में कार्य करने पर सहमत हुआ है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर को स्विच ऑन कर सुना तो परिवादी श्री ओमप्रकाश एवं कानि श्री कंवराज सिंह के उपरोक्त कथनों की पुष्टि हुई तत्पश्चात डिजीटल टेप रिकॉर्डर पुनः स्वीच ऑफ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखते हुए रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट आईन्दा स्वतन्त्र गवाह तलब कर मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराह जाप्ता कानि श्री कंवराजसिंह कानि 444, श्री किसनाराम कानि0 238 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेराराम 302 मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर को स्विच ऑफ हालात में एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाद राजकार्य एसीबी चौकी बाडमेर (अतिरिक्त चार्ज) से रवाना होकर एसीबी कार्यालय जैसलमेर उपस्थित आया एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर को स्विच ऑफ हालात में एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा।

दिनांक 01.09.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश के बताये अनुसार आगामी दिनों में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस के अवकाश पर होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री दीनाराम हैड कानि0 125 को निर्देशित किया कि निकटतम दिवस में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाना है अतः आप कार्यालय हाजा से एक तहरीर श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जैसलमेर के नाम से जारी कर दो स्वतन्त्र गवाहन को पाबंद करावें तथा कार्यालय हाजा के उपस्थित जाप्ता को भी उपस्थित रहने हेतू पाबन्द करें। दिनांक 03.09.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये वाट्सएप्प कॉल कर बताया कि मैनें आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2500 रूपये की व्यवस्था कर ली है तथा मेरे द्वारा स्टोर ईन्चार्ज श्री ललित के बारे में पता करने पर मालूम हुआ कि कल दिनांक 04.09.2023 को वह अपने कार्यालय में उपस्थित रहेगा तथा वह मेरे से रिश्वत राशि की लेन देन भी कर सकता है। इत्यादी आमदा सूचना पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश को कल दिनांक को प्रातः 9.00 बजे एसीबी कार्यालय बाडमेर में रिश्वती राशि सहित उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया एवं कार्यालय हाजा के पूर्व पंत्राक 1106 दिनांक 01.09.2023 के द्वारा पांबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहन श्री धमेन्द्र सोलकीं हाल कनिष्ठ सहायक, श्री कासम खॉ चानियां हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद जैसलमेर को कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु जरिये मोबाईल सूचित किया। जिस पर पाबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये है जिनका परिचय मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुछा गया तो अपना नाम क्रमशः श्री धमेन्द्र सोलकीं पुत्र श्री मांगीलाल सोलकीं, उम्र 43 साल, पेशा नौकरी, निवासी 8 सी, पटेल नगर बीकानेर पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, बीकानेर, हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद जैसलमेर, श्री कासम खॉ चानियां पुत्र श्री वली मोहम्मद, जाति मुसलमान, उम्र 41 साल, पेशा नौकरी, निवासी भांगू का गॉव, पुलिस थाना सदर जैसलमेर, जिला जैसलमेर हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद जैसलमेर (राज0) होना बताया जिस पर उपरोक्त दोनों गवाहनों से अग्रीम ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुवें बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त कि गई। कार्यालय हाजा पर उपस्थित जाप्ता एवं गवाह को कल दिनांक 04.09.2023 प्रातः 5.30 ए0एम0 पर हर सूरत में कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द

कर गवाह को रूखसत दी गयी। तत्पचात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित होने के कारण कानि0 चालक श्री शेराराम नं0 302 को टैक्सी स्टेण्ड जैसलमेर भेजकर एक प्राईवेट वाहन लाने हेतु भेजा जो, एक प्राईवेट वाहन साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया।

दिनांक 04.09.2023 को पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं, श्री कासम खॉ चानियां उपस्थित कार्यालय आये एवं ब्यूरो स्टॉफ भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। ताबाद मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता सर्वश्री दीनाराम मुख्य आरक्षक 125 , कानिगण संग्रामसिंह 536 ,कंवराजसिंह 444, गुमनाराम 439 , शिवप्रताप 541, किसनाराम 238, भंवरलाल 309 , शेराराम चालक नंबर 302 ,एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं, श्री कासम खॉ चानियां जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के प्रकरण की पत्रावली, फिनोफथलीन पाउडर की शिशी, सोडियम कार्बोनेट की शीशी, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के एसीबीं चौकी बाडमेर को रवाना होकर एसीबी चौकी बाडमेर पहुँचा। जहॉ पूर्व में पाबन्दसुदा परिवादी श्री ओमप्रकाश एसीबी कार्यालय बाडमेर में उपस्थित आया है। जहॉ पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समस्त ट्रेप दल एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं,श्री कासम खॉ चानियां का परिवादी एवं परस्पर एक दुसरे से परिचय करवाया गया। ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा पुर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर तथा पूर्व में डिजीटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये तो परिवादी के कथनो की पुष्टि हुई। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवादी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी मौखिक सहमति प्रदान करते हुए परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात आरोपी ललित को रिश्वती में दी जाने तयशुदा रिश्वती राशि 2500 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को पेश करना कहने पर परिवादी श्री ओमप्रकाश ने 500–500 रूपये के 05 नोट कुल राशि 2500 रू. अपनी जेब से निकाल कर मुझ उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिस पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के मालखाना प्रभारी हैड कानि श्री दीनाराम नं0 125 द्वारा मालखाना से साथ लाई गई फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया गया। तत्पश्चात एक अखबार बिछाकर उपरोक्त नोटो को उस पर रखकर नोटो के दोनों तरफ फिनोफ्थलीन पाउडर कार्यालय हाजा के कानि श्री गुमनाराम कानि 439 से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री कासम खॉ चानिया से लिवाई जाकर उनके बदन पर पहने हुए कपडों एवं उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी को अपना मोबाईल अपने पास ही रखने की ईजाजत दी गई। इसके पश्चात श्री गुमनाराम कानि द्वारा सीधे ही फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 2500/– रू. के उक्त नोट परिवादी के पहने हुई पेन्ट के नीचे की बांयी जेब में रखवाई गई व परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इस नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही यह रिश्वती राशि जेब से निकाल कर आरोपी को देवें, रिश्वती राशि देने के पश्चात उक्त रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा रखने के स्थान का ध्यान रखें, तथा रिश्वत की राशि देने के पश्चात अवसर पाकर अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल अथवा ब्यूरो स्टाफ के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके या अपने सिर पर हाथ फैर कर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने का इशारा करें। परिवादी को हिदायत की गई कि वह रिश्वती राशि देने के पूर्व व पश्चात् आरोपी से अपना हाथ भी नहीं मिलावें। तत्पश्चात् दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट का दृष्टान्त देने के लिये कार्यालय से ही पानी की बोतल मंगवाई जाकर साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार कर समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन/अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री गुमनाराम कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबा

कर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिस बाबत परिवादी व गवाहान को समझाया गया कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को छुएगा, तो उसके हाथों को पानी व सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलाने पर घोल का रंग इसी तरह गुलाबी हो जायेगा। इस दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को नष्ट करवाया गया, अखबार जिन पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टान्त के समय उपयोग में लिये गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास तथा अखबार को भी श्री गुमनाराम कानि से ही जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री गुमनाराम कानि. के हाथ, चम्मच इत्यादी को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, ट्रेप उपयोग की सामग्री कीप, पव्वे, चम्मच आदि को पुनः साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी को छोडकर ट्रेप दल के समस्त सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर ब्यूरो स्टाफ के पास परिचय पत्र, मोबाईल फोन के अलावा कोई भी राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास निजी खर्चे हेतु 2000 रू.रखे। ट्रेप दल के सदस्यों को आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने के पश्चात सूचना देने हेतु परिवादी द्वारा किया जाने वाला पुर्व मुर्करर इशारा बताया जाकर हिदायत दी गई कि वे सभी परिवादी के इशारे का ध्यान रखे, यथा सम्भव रिश्वती राशि के लेनदेन को भी देखने अथवा वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। ट्रेप दल के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती राशि लेनदेन के समय परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी को डिजीटल रिकॉर्डर देकर हिदायत दी कि वह रिश्वती लेनदेन के वक्त की वार्ता को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री गुमनाराम को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित ही एसीबी कार्यालय जैसलमेर पहुचने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द मौके पर ही मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितान के हस्ताक्षकर करवाये गये। ताबाद मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता सर्वश्री दीनाराम मुख्य आरक्षक 125 , कानिगण संग्रामसिंह 536 ,कंवराजसिंह 444, गुमनाराम 439 , शिवप्रताप 541, किसनाराम 238, भंवरलाल 309 , शेराराम चालक नंबर 302 , एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं, श्री कासम खॉ चानियां जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन एवं एसीबी कार्यालय बाडमेर का इमदादी जाप्ता कानि श्री अनुपसिंह नं0 397 श्री ठाकराराम कानि 440, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय परिवादी श्री ओमप्रकाश, प्रकरण की पत्रावली, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के एसीबी चौकी बाडमेर से बायतु की तरफ रवाना होकर बायतु पहुॅच परिवादी श्री ओमप्रकाश के हमराह कानि श्री कंवराजसिंह 444 को मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर देकर आरोपी श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु के कार्यालय की तरफ रवाना किया जाकर समस्त ट्रेप दल ने अलग अलग पोजीशन लेकर परिवादी श्री ओमप्रकाश के मुकरर्र ईशारे के इंतजार में खडे रहे। कुछ समय बाद मन् उप अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री ओमप्रकाश मय कानि श्री कंवराजसिंह 444 मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के आरोपी श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु के कार्यालय की तरफ गये हुए उपस्थित आये तथा परिवादी श्री ओमप्रकाश ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै आपके निर्देशानुसार कानि श्री कंवराजसिंह से डिजिटल टेप रिकॉर्डर लेकर श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु के कार्यालय में पहुॅचा मगर श्री ललित अपने कार्यालय में उपस्थित नही मिला, जिस पर मैने वहॉ उपस्थित स्टाफ से जानकारी प्राप्त की तो श्री ललित के रामदेवरा पैदल यात्रा पर जाना ज्ञात हुआ है, जिसके आगामी दो या तीन दिन तक कार्यालय में उपस्थित आने की कोई सम्भावना नही है, इत्यादि हालात से इमरोजा ट्रेप कार्यवाही नही होने तथा गोपनीयता बरकरार रखने की दृष्टि से परिवादी श्री ओमप्रकाश मय हमराही जाप्ता मय गवाहान के एसीबी कार्यालय बाड़मेर के लिए रवाना होकर बायतु से एसीबी चौकी बाडमेर उपस्थित आया ताबाद परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा आरोपी ललित को दी जाने वाली रिश्वती राशि

2500 रूपये को एसीबी कार्यालय बाड़मेर के कानि श्री लालाराम नम्बर 328 से परिवादी श्री ओमप्रकाश के पहने हुई पेन्ट के नीचे की बांयी जेब में से फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 2500 रूपये निकालवाये जाकर एक लिफाफे में डालकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाये जाकर कानि के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये तत्पश्चात परिवादी को रूकसत करते हुए हिदायत की गई कि आप आरोपी श्री ललित की उपस्थिति के बारे मालुमात कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करें तत्पश्चात मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता सर्वश्री दीनाराम मुख्य आरक्षक 125, कानिगण संग्रामसिंह 536 ,कंवराजसिंह 444, गुमनाराम 439 , शिवप्रताप 541, किसनाराम 238, भंवरलाल 309 ,शेराराम चालक नंबर 302 , एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं, श्री कासम खॉ चानियां जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन प्रकरण की पत्रावली, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के एसीबी चौकी बाडमेर से रवाना एसीबी कार्यालय जैसलमेर उपस्थित आया।

दिनांक 08.09.2023 को समय 09.45 ए0एम0 पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री ओमप्रकाश ने जरिये मोबाईल फोन कर अवगत कराया कि मैने श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु का मेरे स्तर पर पता करवाया तो वह आज अपने कार्यालय में उपस्थित है तथा वह मेरे से आज रिश्वती राशि की लेन देन कर लेगा। इत्यादी आमदा सूचना पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी श्री ओमप्रकाश को इमरोजा दोपहर 02.30 पर कस्बा बायतु से लगभग तीन किलोमीटर पूर्व बाड़मेर की तरफ उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया एवं पूर्व पांबन्द शुदा दो स्वतंत्र गवाहन श्री धमेन्द्र सोलकीं हाल कनिष्ठ सहायक, श्री कासम खॉ चानियां हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद जैसलमेर को जरिये मोबाईल अविलम्ब कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु सूचित किया तथा कार्यालय हाजा के उपस्थित समस्त स्टाफ को भी पाबन्द किया गया एवं कानि0 चालक श्री शेराराम नं0 302 को टैक्सी स्टेण्ड जैसलमेर भेजकर एक प्राईवेट वाहन लाने हेतु भेजा जो एक प्राईवेट वाहन के साथ कार्यालय उपस्थित आया एवं पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं हाल कनिष्ठ सहायक,श्री कासम खॉ चानियां हाल कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद जैसलमेर (राज0) उपस्थित कार्यालय आये एवं ब्यूरो स्टॉफ भी कार्यालय हाजा पर उपस्थित है। ताबाद मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता सर्वश्री दीनाराम मुख्य आरक्षक 125 , कानिगण संग्रामसिंह 536 ,कंवराजसिंह 444, शिवप्रताप 541, किसनाराम 238, भंवरलाल 309 , शेराराम चालक नंबर 302 ,एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं, श्री कासम खॉ चानियां जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के प्रकरण की पत्रावली, सोडियम कार्बोनेट की शीशी, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के कस्बा बायतु की तरफ रवाना होकर कस्बा बायतु से बाडमेर रोड भीमड़ा फाटा पर उपस्थित आया जहॉ पर परिवादी श्री ओमप्रकाश उपस्थित मिला तथा परिवादी श्री ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत रिश्वती राशि 500–500 रूपये के 05 नोट कुल 2500 रू. जो फिनोफथलीन पाउडरयुक्त होकर एक लिफाफे में डालकर ट्रेप बॉक्स में रखे हुए है जिनको हमराह कानि श्री किसनाराम 238 से ही बाहर निकलवाकर, श्री किसनाराम द्वारा नोटो के नम्बर बोले गये जिनका मिलान पूर्व में दिनांक 04.09.2023 को बनाई गई फर्द पेशकशी से गवाह श्री धर्मेन्द्र सोलंकी से मिलान करवाया गया, जो हुबहू पाये गये। तत्पश्चात श्री किसनाराम कानि द्वारा सीधे ही फिनोफथलीन पाउडरयुक्त राशि 2500/– रू. के उक्त नोट परिवादी के पहने हुई पेन्ट के नीचे की बांयी जेब में रखवाई गई एवं लिफाफे को कानि श्री किसनाराम द्वारा मौके पर ही नष्ट करवाया गया। ताबाद परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इस नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुए तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही यह रिश्वती राशि जेब से निकाल कर आरोपी को देवें, रिश्वती राशि देने के पश्चात उक्त रिश्वती राशि को आरोपी द्वारा रखने के स्थान का ध्यान रखें, तथा रिश्वत की राशि देने के पश्चात अवसर

पाकर अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके या हाथ से इशारा कर आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने का इशारा करें। परिवादी को हिदायत की गई कि वह रिश्वती राशि देने के पूर्व व पश्चात् आरोपी से अपना हाथ भी नहीं मिलावें। श्री किसनाराम कानि. के हाथ साफ पानी से दो तीन बार धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को छोडकर ट्रेप दल के समस्त सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर ब्यूरो स्टाफ के पास परिचय पत्र, मोबाईल फोन के अलावा कोई भी राशि या आपतिजनक वस्तु नही रहने दी गई। मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास निजी खर्चे हेतु 1500 रू.रखे। ट्रेप दल के सदस्यों को आरोपी द्वारा रिश्वत लिये जाने के पश्चात सूचना देने हेतु परिवादी द्वारा किया जाने वाला पुर्व मुर्करर इशारा बताया जाकर हिदायत दी गई कि वे सभी परिवादी के इशारे का ध्यान रखे। ट्रेप दल के समस्त सदस्यों के हाथ साफ पानी दो तीन बार धुलवाये गये। रिश्वती राशि लेनदेन के समय परिवादी व आरोपी के बीच होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये परिवादी को डिजीटल रिकॉर्डर देकर हिदायत दी कि वह रिश्वती लेनदेन के वक्त की वार्ता को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें। फिनोफ्थलीनयुक्त रिश्वती राशि 2500 रूपये ट्रेप बॉक्स में रखे लिफाफे से निकालकर परिवादी के जेब में रखने वाले कानि श्री किसनाराम 238 को आगामी आदेश तक भीमड़ा फाटे पर ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई तथा एसीबी कार्यालय बाडमेर के कानि श्री अनुपसिंह 397 एवं श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन के इमदाद हेतु बायतु पहुँचने की हिदायत की गई। ताबाद परिवादी श्री ओमप्रकाश मय समस्त ट्रेप दल भीमड़ा फाटा से जीएसएस बायतु के लिए रवाना होकर जी0एस0एस0 बायतु के पास पहुँचे जहॉ परिवादी श्री ओमप्रकाश मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर के हमराह कानि श्री कंवराजसिंह 444 को आरोपी श्री ललित स्टोर इंचार्ज जीएसएस बायतु के कार्यालय की तरफ रवाना किया जाकर समस्त ट्रेप दल ने अलग अलग पोजीशन लेकर परिवादी श्री ओमप्रकाश के मुकरर्र ईशारे के इंतजार में खडे रहे।

कुछ समय बाद मौतबिरान के रूबरू परिवादी श्री ओमप्रकाश ने जी0एस0एस0 परिसर बायतु में स्थित सरकारी क्वाटर मे से बाहर आकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पुर्व मुर्करर अपने हाथ से इशारा कर आरोपी श्री ललित किशोर द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त कर लेने का ईशारा किया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यो सहित तुरन्त जी0एस0एस0 परिसर बायतु में स्थित सरकारी क्वाटर में पहुंचा। जहॉ प्रवेश करने पर एक व्यक्ति सामने चारपाई पर बैठा मिला, परिवादी श्री ओमप्रकाश को पूर्व में दिया गया डिजिटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसको बाद मे सुन सुन कर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री ओमप्रकाश से चारपाई पर बैठे व्यक्ति के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि यही श्री ललित स्टोर इंचार्ज है, जिन्होंने अभी–अभी मेरे से पूर्व में तयशुदा 2500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने हाथों से गिनकर अपने पहनी हुई पेन्ट की पिछली जेब में रखी है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के बताये अनुसार उक्त व्यक्ति को अपना, मौतबिरान एवं ट्रेप दल का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बायतु भोपजी पुलिस थाना बायतु जिला बालोतरा हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीशियन द्वितीय) जीएसएस बायतु बालोतरा होना बताया। तत्पश्चात श्री ललित किशोर स्टोर इंचार्ज को परिवादी श्री ओमप्रकाश से 2500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मैने श्री ओमप्रकाश से 2500 रूपये अभी प्राप्त किये है जो मैने मेरी पहनी हुई पेन्ट की पिछली जेब में रखे है जिस पर आरोपी श्री ललित किशोर के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जी0एस0एस0 परिसर बायतु में स्थित सरकारी क्वाटर से बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल

को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री ललित किशोर के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया, इस हल्का गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री ललित किशोर के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इस हल्का गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियो में आधा–आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। तत्पश्चात श्री ललित किशोर को रिश्वती राशि को पेश करने हेतु कहने पर उसने पहनी हुई पेन्ट की पिछली जेब मे से 2500 रूपये निकाल कर पेश करने पर उक्त नोट गवाह श्री कासमखॉ चानियां को दिये जाकर दुसरे गवाह श्री धर्मेन्द्र सोंलकी से पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बोल–बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 2500 रू0 के नोटों के नम्बरों से हुबहू नम्बर पाये गये, जो निम्नानुसार है।

क.सं.	नोट का विवरण	नोट का नंबर
1.	500/– रूपये का नोट नंबर	7 जी जी 263646
2.	500/– रूपये का नोट नंबर	0 क्यू एन 617765
3.	500/– रूपये का नोट नंबर	0 ई डी 570331
4.	500/– रूपये का नोट नंबर	4 एस डी 533597
5.	500/– रूपये का नोट नंबर	6 ए के 092109

उपरोक्त बरामदा कुल राशि 2500 रू. के नोटो को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटो पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटो को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। इसके पश्चात् श्री ललित किशोर की जामा तलाशी गवाह श्री धर्मेन्द्र सोलंकी से लिवाई गई तो उसके पास एक वीवो कम्पनी का बरंग (ग्रे) मय सिम मोबाईल फोन सिरियल नम्बर 962985675700171 जिसके आईएमईआई1 –868165055503090, आईएमईआई 2– 868165055503082 मोबाईल नम्बर 9929587158 पाया गया, इसके अतिरिक्त आरोपी ललित किशोर के बदन पर पहने हुए कपडो मे कोई राशि अथवा वस्तु होना नही पाई गई तथा ना ही कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री ललित किशोर के पहनी हुई नीले रंग की पेन्ट की पिछली जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से पेंट को उतरवाया गया तथा क्वाटर में ही स्थित पायजामा को पहनाया जाकर उक्त नीले रंग की पेन्ट की पिछली जेब का धोवन के लिए, तीसरे साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नही आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में उतरवाई गयी पेन्ट की पिछली जेब को उलटाकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा–आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस नीले रंग की पेन्ट को भी वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की एक थैली में सिलाई कर मार्क "पी" दिया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। हाथ धोवनों एवं पेन्ट के जेब की धोवन कार्यवाही में उपयोग में लिए गये साफ पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रूबरू मौतबिरान के श्री ललित किशोर से उसके दोनों हाथों तथा पेन्ट के जेब का रंग हल्का गुलाबी हो जाने तथा रिश्वती राशि के बारे में पुछने पर श्री ललित कुमार निरूत्तर रहा, जिस पर तस्सलीपुर्वक पुनः पुछा तो श्री ललित कुमार ने बताया कि मैने श्री ओमप्रकाश से 2500 रूपये लिए है जो ट्रान्सफार्मर को बदलने एवं ट्रान्सफार्मर लोडिंग एवं अनलोडिंग करने के लिए है। तत्पश्चात श्री ललित किशोर टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीशियन) जी0एस0एस0 बायतु जिला बालोतरा से परिवादी श्री ओमप्रकाश के पैण्डिंग कार्य के संबंध मे पूछने पर श्री ललित किशोर ने अपने पास परिवादी का कोई पैन्डिग कार्य नही होना बताया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत ट्रान्सफार्मर बदलने का प्रार्थना पत्र मय लाईनमैन की फेलियर रिपोर्ट व उपभोक्ता के बिल को मेरे द्वारा अधीक्षण अभियन्ता बाड़मेर को प्रेषित की जा चुकी है इत्यादि कार्यवाही पुर्ण हो जाने पर फिनोफ्थलीनयुक्त रिश्वती राशि लिफाफे से निकालकर परिवादी के जेब में रखने वाले कानि श्री किसनाराम 238 को जरिये मोबाईल पुलिस थाना बायतु पहुॅचने की हिदायत की गई। तत्पश्चात कार्यालय जीएसएस बायतु परिसर में एसीबी की कार्यवाही होने तथा लोगों का जमघट होने की सम्भावना के कारण एवं सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना बायतु में किये जाने का निर्णय लेकर मय आरोपी श्री ललित किशोर टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीशियन) जी0एस0एस0 बायतु जिला बालोतरा मय मालखाना आईटम मय पत्रावली मय सरकारी सामग्री लेपटॉप ,प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, इत्यादि मय हमराही जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान के जीएसएस बायतु से रवाना होकर पुलिस थाना बायतु पहुॅच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई जहॉ एसीबी कार्यालय बाडमेर के कानि श्री अनुपसिंह 397 एवं श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन के इमदाद हेतु उपस्थित आये तथा फिनोफ्थलीनयुक्त रिश्वती राशि लिफाफे से निकालकर परिवादी के जेब में रखने वाले कानि श्री किसनाराम 238 भी निर्देशानुसार पुलिस थाना बायतु उपस्थित आया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय आरोपी ललित किशोर, हमराही जाप्ता के रवाना होकर आरोपी श्री ललित किशोर के रहवासी मकान की खाना तलाशी एवं नक्शा मौका घटनास्थल जी0एस0एस0 परिसर बायतु में स्थित सरकारी क्वाटर का विधिवत मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गयां। पुलिस थाना बायतु में विधुत आपुर्ति की सुचारू व्यवस्था नही होने के कारण आगामी कार्यवाही एसीबी चौकी बाडमेर पहुॅच कर करने का निर्णय लेकर मन् संग्रामसिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता सर्वश्री दीनाराम मुख्य आरक्षक 125 , कानिगण संग्रामसिंह 536 ,कंवराजसिंह 444, शिवप्रताप 541, किसनाराम 238, भंवरलाल 309 , शेराराम चालक नंबर 302 ,एवं दो स्वतंत्र गवाहान श्री धमेन्द्र सोलकीं, श्री कासम खॉ चानियां जरिये सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन, मय ईमदादी जाप्ता श्री अनुपसिह कानि 397 श्री सहदेवसिह कनिष्ठ सहायक मय सरकारी वाहन मय आरोपी श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बायतु भोपजी पुलिस थाना बायतु जिला बालोतरा हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्निसियन) जीएसएस बायतु बालोतरा, प्रकरण की पत्रावली, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल टेप रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के रवाना होकर मय सम्पुर्ण मालखाना आईटम के पुलिस थाना बायतु से रवाना होकर एसीबी कार्यालय बाडमेर पहुॅच अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर आरोपी श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बायतु भोपजी पुलिस थाना बायतु जिला बालोतरा हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्निसियन) जीएसएस बायतु बालोतरा को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं से अवगत करवाकर छू कर विधिवत गिरफतार किया जाकर गिरफतारी की सूचना उसके कहेनुसार उसके पिता श्री अर्जुनराम को मोबाईल नम्बर

9414531901 पर दी गई। फर्द गिरफतारी पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री ललित किशोर हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्निसियन) जीएसएस बायतु जिला बालोतरा का स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय बाड़मेर में करवाकर एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली मे जमा करवाया जाकर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट इत्यादि शामिल पत्रावली किये। ताबाद डिजीटल टेप रिकॉर्डर में परिवादी श्री ओमप्रकाश व आरोपी श्री ललित किशोर हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्निसियन) जी0एस0एस0 बायतु जिला बालोतरा के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.08.2023 एवं परिवादी श्री ओमप्रकाश व आरोपी श्री ललित किशोर हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्निसियन) जी0एस0एस0 बायतु जिला बालोतरा के मध्य हुई रिश्वती राशि लेन देन वार्ता दिनांक 08.09.2023 रिकॉर्ड है। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्ताओं को विभागीय लेपटॉप की माध्यम से रूबरू गवाहान व परिवादी के पृथक–पृथक सुन–सुनकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप की अलग से तैयार कर, विस्तृत फर्द अलग से पृथक पृथक मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्डेड उक्त वार्तालापों की विभागीय लेपटॉप की मदद से तीन तीन सिडियां तैयार कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गयें। उक्त सिडियो में से एक–एक सीडी को मूल मानकर कपडे की थैलियों मे डालकर सिलाई कर थैलियों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर थैलियों को सील्ड मोहर किया गया व दो–दो सिडियो को डब मानकर खुला रहने दिया गया। ताबाद परिवादी श्री ओमप्रकाश तथा दो स्वतंत्र गवाहन श्री धमेन्द्र सोलकीं कनिष्ठ सहायक, श्री कासम खॉ चानियां कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद जैसलमेर को बाद ट्रेप कार्यवाही के रूखसत किया गया। दिनांक 09.09.2023 को प्रकरण हाजा में गिरफतारशुदा आरोपी श्री ललित किशोर हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीश्यिन द्वितीय) जीएसएस बायतु जिला बालोतरा को माननीय न्यायालय एसीबी कोर्ट जोधपुर में इमरोजा पेश किया जाना होने से गिरफतारशुदा आरोपी श्री ललित किशोर को पुलिस थाना कोतवाली से प्राप्त कर एसीबी कार्यालय बाड़मेर उपस्थित आये।

ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बायतु भोपजी पुलिस थाना बायतु जिला बालोतरा हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीशियन द्वितीय) जीएसएस बायतु बालोतरा द्वारा दौराने मांग सत्यापन दिनांक 29.08.2023 को परिवादी श्री ओमप्रकाश से उसके पिता के नाम से जारी ट्यूबेल कनेक्शन का खराब ट्रान्सफार्मर बदलने की एवज में वक्त सत्यापन 3000 रूपये रिश्वती राशि की मांग कर 2500 रूपये की रिश्वत लेकर ट्रान्सफार्मर बदलने के लिए सहमत होना, दौराने ट्रेप दिनांक 08.09.2023 को आरोपी श्री ललित किशोर द्वारा पुर्व में तयशुदा रिश्वती राशि 2500 रूपये प्राप्त करना दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वती राशि आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की जेब से बरामद होना एवं आरोपी श्री ललित किशोर के दोनों हाथो के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना, आरोपी के पेन्ट की जेब का धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना, इस प्रकार आरोपी श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी बायतु भोपजी पुलिस थाना बायतु जिला बालोतरा हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीशियन द्वितीय) जीएसएस बायतु जिला बालोतरा का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का कारित किया जाना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

दर्ज रहे कि गिरफतार शुदा आरोपी को माननीय एसीबी कोर्ट जोधपुर में पेश किया जाना है। लिहाजा प्रकरण हाजा में गिरफतारशुदा आरोपी श्री ललित किशोर हाल टेक्निकल हैल्पर (टेक्नीश्यिन द्वितीय) जीएसएस बायतु जिला बालोतरा को न्यायालय माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर में पेश करने हेतु श्री दीनाराम हैड कानि 125 मय हमराह जाप्ता श्री कंवराज सिंह नंबर 444, श्री कानि0. चालक शेराराम नंबर 302 जरिये प्राईवेट वाहन के मय आरोपी श्री ललित किशोर को माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर

हेतु रवाना किया गया। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट अलग से कता की जाकर वास्ते अपराध पंजीयन ब्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित की जावेगी।

भवदीय

(संग्रामसिंह)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री संग्रामसिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री ललित किशोर पुत्र श्री अर्जुनराम, स्टोर इंचार्ज, हाल तकनीकी सहायक (टेक्निसियन), जीएसएस बायतु, बालोतरा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 241/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

9.9.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2728-31 दिनांक 09.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभिंयता (पवस), जोधपुर डिस्कॉम, बालोतरा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।

9.9.23

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।